

# झारखण्ड विधान सभा

## दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा  
संख्या-07

षष्ठम् (मॉनसून) सत्र  
बुधवार, दिनांक-17 अगस्त, 2016 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 01.45 बजे अप० तक।  
(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

दिनांक-29.07.2016 को षष्ठम् मॉनसून सत्र के अनश्चितकाल के लिये स्थगनोपरांत आज आहूत सत्र के संबंध में झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 15 के परन्तुक (3) एवं संसद के दोनों सदनों से पारित GST विधेयक के संबंध में आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया।

### 1-राजकीय संकल्प:-

श्री सरयू राय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "यह सभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-368 (2) ख एवं ग के अध्यक्षीन प्रस्तावित संशोधन से संबंधित (122 वॉ संशोधन) विधेयक, 2014 जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित है, का अनुसमर्थन करती है।" इसके पश्चात् उन्होंने उक्त विधेयक के संबंध में विषय वस्तु को रखते हुए भारत में प्राचीन काल से ही शासकों द्वारा कर-प्रणाली की व्यवस्था लागू किये जाने विषयक प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख होने संबंधी चर्चायें भी की, तदुपरांत बारी-बारी से क्रमशः सर्वश्री आलमगीर आलम, राधाकृष्ण किशोर, प्रदीप यादव, मनीष जयसवाल, अरूप वटर्जी, अनन्त कुमार ओझा, राज कुमार यादव, नारायण दास, सुखदेव भगत, बिरंची नारायण, मनोज कुमार यादव एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन ने भी अपने विचार रखे।

(इस अवसर पर सदन की सहमति से सभा का समय विस्तारित किया गया)

सदन में लाये गये उक्त विधेयक की प्रासंगिकता पर माननीय मुख्यमंत्री, श्री रघुवर दास द्वारा विस्तार से वस्तुस्थिति को सदन के समक्ष रखा गया, इसके बाद भार साधक सदस्य, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय ने भी अपने विचार व्यक्त किये तथा इस विधेयक को लोक कल्याणकारी विधेयक बताया तदुपरांत सर्वसम्मति के साथ ध्वनिमत से उक्त विधेयक सभा द्वारा पारित हुआ।

अंत में सी.आर.पी.एफ. के जवान प्रमोद कुमार तथा चतरा में पुलिस जवान शक्ति सिंह नायक के शहीद होने एवं डॉ० बी.पी. केसरी के निधन पर आसन द्वारा संवेदना व्यक्त की गयी और आनेवाले त्योहारों की अग्रिम बधाई के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गयी।

रांची,  
दिनांक-17 अगस्त, 2016

बिनय कुमार सिंह  
प्रभारी सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा।